# सराहनीय कार्य - माह जुलाई – 2026

## थाना – रुपईडीहा/ दरगाह शरीफ

- बहराइच पुलिस व औषधि प्रशासन विभाग की बड़ी कार्यवाही
- मेडिकल एजेंसी के अवैध गोदाम से 8140 कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद, अनुमानित कीमत ₹20,35,000
- एजेंसी संचालक गिरफ्तार, अवैध औषधियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहन सीज

**दिनांक – 02.07.2026**
**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0-306/2026 धारा 8/21,8/25 NDPS ACT व धारा 278 BNS धारा 18A,18B, 18C, 27, 28, 28A औषधि एवं प्रसाधन सामाग्री अधिनियम 1940 थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच**

**गिरफ्तार अभियुक्त – -** अजय कुमार यादव उर्फ पवन यादव पुत्र ननकु प्रसाद उम्र करीब 40 वर्ष निवासी असरफा परसौरा थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच ।

**बरामदगी –**
**25 बोरियों मे कुल 8140 शीशीयाँ (कीमत करीब ₹20,35,000) प्रतिबन्धित नशीली कफ सिरप-**
**1. ANREX कोडिन युक्त कफ सीरप - कुल 46 गत्ते के डिब्बे में - कुल 5520*100 ml शीशीयां**
**2. कोडिसन कोडिन युक्त कफ सीरप के कुल 09 गत्ते के डब्बे में कुल 1152*100 एमएल की शीशीयां**
**3. कोफिजा कोडिन युक्त कफ सीरफ के कुल 06 गत्ते के डिब्बे में कुल 748*100 एमएल की शीशीयां**
**4. OHMEREX-T कोडिन युक्त कफ सीरप के 02 गत्ते के डिब्बे में कुल 240*100 एमएल की शीशीयां**
**5. CARISPAS-1 कैप्सूल 15*08**
**6. SPAS-ONE कैप्सूल 144*08**
**7. 01 अदद कार**

**विवरण-**
विगत कुछ दिनों से भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के आस-पास के थाना क्षेत्रों में लगातार कोडीन युक्त कफ सिरप के विक्रय की शिकायत प्राप्त हो रही थी जिसका संज्ञान लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में सीमा क्षेत्र के थानों की पुलिस टीम गठित कर अवैध नशीली एवं नियंत्रित औषधियों की बिक्री एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।
जिसके क्रम में दिनांक 29.06.2026 को औषधि प्रशासन विभाग एवं थाना रुपईडीहा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आदर्श आयुर्वेदिक औषधि स्टोर पर की गई संयुक्त कार्यवाही के दौरान कुल 08 प्रकार की कुल 2,349 बोतल कोडीन युक्त नशीली कफ सिरप (कुल वजन 2 कुन्तल 34 किलो 900 ग्राम), 12,145 ट्रामाडोल कैप्सूल तथा अन्य विभिन्न प्रकार की नशीली/नियंत्रित दवाइयाँ बरामद की गयीं तथा स्टोर संचालक आदित्य कुमार मिश्रा पुत्र कृपाराम मिश्रा, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी स्टेशन रोड, केवलपुर, रुपईडीहा, जनपद बहराइच को गिरफ्तार करते हुए थाना रुपईडीहा पर मु0अ0सं0 168/2026 धारा 8/21/22 NDPS ACT व धारा 278 BNS धारा 18A,18B, 18C, 27, 28, 28A औषधि एवं प्रसाधन सामाग्री अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई थी तथा गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य कुमार मिश्रा से बरामद अवैध दवाइयों के बारे में कड़ाई से पूछताछ की गयी

तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त नशीली एवं नियंत्रित औषधियों की आपूर्ति अजय कुमार यादव उर्फ पवन यादव द्वारा की जाती थीं, थाना रुपईडीहा व थाना दरगाह शरीफ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा प्राप्त इनपुट के आधार पर छानबीन शुरू की गयी।

उक्त के क्रम में पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी अजय कुमार यादव द्वारा संचालित शिवांस मेडिकल एजेंसी, असरफा परसौरा, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच पर पहुँचकर पूछताछ व चेकिंग की गयी। जांच के दौरान एजेंसी से कुछ दूरी पर स्थित संचालक अजय कुमार यादव के आवास परिसर में बिना वैध लाइसेंस के संचालित एक अवैध गोदाम पाया गया जिसकी तलाशी में 25 बोरियों में रखी विभिन्न ब्रांड की कोडीन युक्त कुल 8,140 शीशियों में कफ सिरप बरामद की गई, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्त अजय उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वह करीब 150 रुपये मूल्य की कोडीनयुक्त सिरप को 250 रुपये में बेंचकर गाढ़ा मुनाफा कमाता था। पुलिस द्वारा अभियुक्त अजय उपरोक्त को गिरफ्तार कर अवैध औषधियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहन को सीज करते हुए बरामदगी के आधार पर थाना दरगाह शरीफ पर मु0अ0सं0 306/2026 अंतर्गत धारा 8/21 एवं 8/25 एनडीपीएस अधिनियम, धारा 278 बीएनएस तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18A, 18B, 18C, 27, 28 एवं 28A के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी टीमः-
थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच
1-उ0नि0 राहुल सरोज
2-आरक्षी अभिषेक सिंह
3-आरक्षी अभिषेक राय
4-आरक्षी रविन्द्र यादव व
5-आरक्षी जयचन्द गौड़
थाना दरगाह शरीफ
6-उ0नि0 श्री पदुमनाथ सिंह
7-हे0का0 राहुल नन्दन
8-हे0का0 सन्तोष कुमार यादव
9-म0रि0आ0 प्रतिभा चौधरी

## थाना – कैसरगंज

### गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

**दिनांक – 04.07.2026**
**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 – 209/2026 धारा –3/5/8 गोवध निवारण अधि0**

**गिरफ्तार अभियुक्त –**
**अहमद हुसैन पुत्र मो0 उमर 2- वाजिद पुत्र अहमद अली 3- मोइद अहमद पुत्र मो0 अहमद 4- क्यूम पुत्र अहमद हुसैन साकिनान ग्राम बढौली थाना कैसरगंज जनपद बहराइच**

**बरामदगी –**
**चापड़ (गड़ासा) तथा चाकू**

**विवरण-**
**दिनांक 03.07.2026 को थाना कैसरगंज में गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित मु0अ0सं0 – 209/2026 धारा – 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में कैसरगंज पुलिस द्वारा दिनांक 3/4.07.2026 को रात्रि में मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तगण 1- अहमद हुसैन पुत्र मो0 उमर 2- वाजिद पुत्र अहमद अली 3- मोइद अहमद पुत्र मो0 अहमद 4- क्यूम पुत्र अहमद हुसैन साकिनान ग्राम बढौली थाना कैसरगंज जनपद बहराइच को ग्राम कुरसण्डा से रमवापुर को जाने वाले मार्ग पर समय करीब 03.07 AM बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा तलाशी के दौरान अभियुक्त अहमद हुसैन के पास से चापड़ (गड़ासा) तथा वाजिद के पास से चाकू व बरामद हुआ। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया है।**

**गिरफ्तारी टीमः-**
1. **व0उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा थाना कैसरगंज**
2. **उ0नि0 श्री संतोष कुमार थाना कैसरगंज**
3. **उ0नि0 श्री आलोक कुमार गौतम थाना कैसरगंज**
4. **हे0का0 प्रदीप कुमार सिंह थाना कैसरगंज**
5. **हे0का0 अंजनी त्रिपाठी थाना कैसरगंज**
6. **का0 विजय कुमार थाना कैसरगंज**
7. **का0 अंशुमान सिंह थाना कैसरगंज**
8. **का0 सूर्यकांत पाण्डेय थाना कैसरगंज**

# <u>थाना – नानपारा</u>

पशु क्रूरता एवं गोवध निवारण अधिनियम का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

**दिनांक – 04.07.26**

**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 29/2026 धारा 325 BNS व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम**

गिरफ्तार अभियुक्त – संजय पुत्र मौहकम निवासी बंजारन टाड़ा थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच

विवरण-

दिनांक **29.01.2026** को थाना नानपारा में पशु क्रूरता एवं गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित अभियोग मु0अ0सं0 **29/2026** धारा **325 BNS** व **11** पशु क्रूरता अधिनियम व **3/5/8** गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना की जा रही थी । विवेचना के क्रम में दिनांक **12.04.2026** को उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त एस0पी0 कसाई उर्फ वसीम पुत्र छोटकन्ना उम्र करीब **43** वर्ष निवासी कसाई टोला को पूर्व में गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी थी तथा एक अन्य अभियुक्त वांछित चल रहा था । आज दिनांक **04.06.2026** को उक्त अभियोग में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वांछित अभियुक्त अभियुक्त संजय पुत्र मौहकम निवासी बंजारन टाड़ा थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच को समय करीब **02.55** बजे लगड़ी पुलिया बंजारनटाडा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक प्रक्रिया अनुरूप माननीय न्यायालय रवाना गया ।

गिरफ्तारी टीमः-

1. उ0नि0 श्री मनीष यादव
2. कां0 फिरोज अंसारी
3. कां0 विजय यादव
4. रि0का0 अभिषेक चौहान

# <u>थाना – मोतीपुर</u>

**थाना मोतीपुर पुलिस व SSB के संयुक्त आपरेशन में**
**13 ग्राम स्मैक के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

**दिनांक – 05.07.26**
**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 284/26 धारा 8/21 NDPS ACT थाना मोतीपुर जनपद बहराइच**

गिरफ्तार अभियुक्त –
रोशन थारू पुत्र रामबुधन थारु निवासी वार्ड नं0 03 नगर पालिका बांसगढी थाना बांसगढी जिला वर्दिया राष्ट्र नेपाल उम्र 19 वर्ष

बरामदगी –
**13 ग्राम स्मैक**

विवरण-
अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम एवं मादक पदार्थो की तस्करी व तस्करी करने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में हेतु थानाध्यक्ष आनन्द कुमार चौरसिया के नेतृत्व में दिनांक 05.07.2026 को भारत नेपाल बार्डर पर थाना मोतीपुर पुलिस व SSB की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना मोतीपुर क्षेत्रान्तर्गत भारत नेपाल बार्डर स्थित फुट्टा चौक बहद ग्राम बलईगांव के पास 13 ग्राम स्मैक के साथ अभियुक्त रोशन थारू पुत्र रामबुधन थारु निवासी वार्ड नं0 03 नगर पालिका बांसगढी थाना बांसगढी जिला वर्दिया राष्ट्र नेपाल उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार कर थाना मोतीपुर पर मु0अ0सं0 284/2026 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-
थाना मोतीपुर पुलिस टीम
1. थानाध्यक्ष श्री आनन्द कुमार चौरसिया
2. उ0नि0 अनिल यादव
3. उ0नि0 बृजानन्द
4. रि0का0 राज अग्रहरी

**59 वी BN SSB बलईगांव**
**1.ASI/GD जगदम्बा प्रसाद ,**
**2. HC/GD प्रशान्त डी मकदूम ,**
**3.CT/GD मुकेश ठोलिया ,**
**4. CT/GD हेमेश कुमार ,**
**5.CT/GD श्रवण कुमार गुर्जर (डाग हैण्डलर )**

<u>**थाना – कैसरगंज**</u>

**गोवध निवारण अधि0 से सम्बंधित 04 नफर वांछित अभियुक्त गण गिरफ्तार**

**दिनांक – 04.07.2026**
**मु0अ0सं0 व धारा –**

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- अहमद हुसैन पुत्र मो0 उमर 2- वाजिद पुत्र अहमद अली 3- मोइद अहमद पुत्र मो0 अहमद 4- क्यूम पुत्र अहमद हुसैन साकिनान ग्राम बढौली थाना कैसरगंज जनपद बहराइच

विवरण-

दिनांक 03.07.2026 को वादी उ0नि0 श्री अखिलेश तिवारी थाना कैसरगंज जनपद बहराइच के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 03.07.2026 को मु0अ0सं0 – 209/2026 धारा –3/5/8 गोवध निवारण अधि0 बनाम 1- अहमद हुसैन पुत्र मो0 उमर 2- वाजिद पुत्र अहमद अली 3- मोइद अहमद पुत्र मो0 अहमद 4- क्यूम पुत्र अहमद हुसैन 5-टन्ने उर्फ असरफ अली पुत्र मो0 उमर साकिनान ग्राम बढौली थाना कैसरगंज जनपद बहराइच के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।
विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभि0 गण 1- अहमद हुसैन पुत्र मो0 उमर 2- वाजिद पुत्र अहमद अली 3- मोइद अहमद पुत्र मो0 अहमद 4- क्यूम पुत्र अहमद हुसैन 5-टन्ने उर्फ असरफ अली पुत्र मो0 उमर साकिनान ग्राम बढौली थाना कैसरगंज जनपद बहराइच के गिरफ्तारी हेतु कैसरगंज पुलिस द्वारा तलाश/पतारसी सुरागरसी की जा रही थी कि दिनांक 3/4.07.2026 को रात्रि में मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण 1- अहमद हुसैन पुत्र मो0 उमर 2- वाजिद पुत्र अहमद अली 3- मोइद अहमद पुत्र मो0 अहमद 4- क्यूम पुत्र अहमद हुसैन साकिनान ग्राम बढौली थाना कैसरगंज जनपद बहराइच को ग्राम कुरसण्डा से रमवापुर को जाने वाले मार्ग पर समय करीब 03.07 AM बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। जामा तालाशी से अभियुक्त अहमद हुसैन के पास से चापड़ (गड़ासा) तथा वाजिद के पास से चाकू व बरामद हुआ।

गिरफ्तारी टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा थाना कैसरगंज
2. उ0नि0 श्री संतोष कुमार थाना कैसरगंज
3. उ0नि0 श्री आलोक कुमार गौतम थाना कैसरगंज
4. हे0का0 प्रदीप कुमार सिंह थाना कैसरगंज
5. हे0का0 अंजनी त्रिपाठी थाना कैसरगंज
6. का0 विजय कुमार थाना कैसरगंज
7. का0 अंशुमान सिंह थाना कैसरगंज
8. का0 सूर्यकांत पाण्डेय थाना कैसरगंज

## थाना – कैसरगंज

**बहराइच पुलिस की ₹25000 के इनाम घोषित अपराधी के साथ कैसरगंज क्षेत्र में हुई मुठभेड़।**

- **अभियुक्त गोवध निवारण अधिनियम सहित विभिन्न मुकदमों का था वांछित।**
- **पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विश्वजीत श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।**

**दिनांक – 07.07.26**

**मु0अ0सं0 व धारा –**

**पंजीकृत अभियोग का विवरणः-**

- **मु0अ0स0 214/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट**

**संबंधित अभियोग का विवरणः-**

- **मु0अ0स0 209/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम**

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

**अशरफ अली उर्फ टन्ने पुत्र मोहम्मद उमर उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बढोली चौकीदारनपुरवा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच**

**बरामदगी –**

- **01 अदद देशी तमंचा 315 बोर**
- **01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर**
- **01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर**
- **640 रुपये नगद धनराशि**

**विवरण-**

**जनपद में अपराध एवं अपराधियों की प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में दिनांक 06.07.2026 को थानाध्यक्ष कैसरगंज, चौकी प्रभारी गंडारा एवं पुलिस टीम जो सोनारी चौराहे पर मौजूद थी कि इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि गोवध के एक प्रकरण में फरार एवं थाना कैसरगंज का वांछित अभियुक्त हरनी गांव रोड से प्यारेपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित पुलिया के पास मौजूद है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा पुलिया के निकट घेराबंदी की गई, स्वयं को पुलिस टीम से घिरता देख अभियुक्त अशरफ अली उर्फ टन्ने पुत्र मोहम्मद उमर द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसकी तलाशी से उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर तथा कुछ नगद धनराशि बरामद हुई। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अशरफ अली उर्फ टन्ने शातिर किस्म का ₹25,000 का इनाम घोषित अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना कैसरगंज में गोवध निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार चल रहा। घटना की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विश्वजीत श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा**

मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। अभियुक्त अशरफ अली के कृत कृत्य व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग मु0अ0स0 214/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी टीमः-

1. श्री राजकुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक थाना कैसरगंज
2. उ0नि0 श्री संतोष कुमार
3. उ0नि0 श्री आलोक कुमार
4. उ0नि0 श्री पंकज कुमार सिंह
5. उ0नि0 श्री ब्रिजेश कुमार
6. हे0का0 प्रदीप सिंह
7. हे0का0 स्वामीनाथ खरवार
8. हे0का0 विजय प्रसाद
9. का0 राजकुमार
10. का0 विजय कुमार
11. का0 सुरेन्द्र कुमार
12. का0 अंशुमान सिंह

## थाना – रानीपुर

*** 01 अवैध देशी पिस्टल .32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

**दिनांक – 07.07.26**

**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0- 116/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम**

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

**अमन राजपूत पुत्र स्व0 धर्मराज ग्राम चरई पुरवा थाना रानीपुर जनपद बहराइच**

**बरामदगी –**

**01 अदद अवैध देशी पिस्टल .32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर**

**विवरण-**

**पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय **श्री विश्वजीत श्रीवास्तव** के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) **श्री आयुष विक्रम सिंह** तथा क्षेत्राधिकारी पयागपुर **श्रीमती हर्षिता तिवारी** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना रानीपुर **श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र** के नेतृत्व में पुलिस टीम को मिली सफलता।**

पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी कि इसी दौरान पुलिस टीम बिलगांव तिराहा मोड़ से बिलगांव जाने वाले मार्ग पर स्थित पुलिया के पास पहुँची एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रोककर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम **अमन राजपूत पुत्र स्वर्गीय धर्मराज, निवासी ग्राम चरई पुरवा, थाना रानीपुर, जनपद बहराइच** बताया। व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से **01 अदद अवैध पिस्टल (.32 बोर) एवं 01 अदद जिंदा कारतूस (.32 बोर)** बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना रानीपुर पर **मु0अ0सं0 116/2026**, धारा **3/25 आयुध अधिनियम** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार समस्त विधिक कार्यवाही करते हुए पुलिस अभिरक्षा में माननीय न्यायालय, बहराइच के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु रवाना किया गया।

**गिरफ्तारी टीमः-**

1. प्रभारी निरीक्षक हरेन्द्र मिश्र
2. उ0नि0 श्री दिनेश यादव
3. का0 संदीप
4. का0 मंजीत मौर्य

## <u>थाना – को0नगर</u>

**चोरी के 02 मुकदमों का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
**02 मोबाईल फोन, 2100 रूपया नगद बरामद**

**दिनांक – 07.06.2026**
**मु0अ0सं0 व धारा –**
**मु0अ0सं0 124/26 धारा 305(a) BNS व बढोत्तरी धारा- 317(2) BNS**
**मु0अ0स0 104/2026 धारा 305(a) BNS**

**गिरफ्तार अभियुक्त –**
**समीर पुत्र साकिर उम्र करीब 21 वर्ष निवासी कमरा नंबर 288 ब्लक संख्या 24 गुल्लावीर कलोनी थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच**

**बरामदगी –**
1. **01 अदद मोबाईल वीवो T3x 5G**
2. **01 अदद मोबाइल विवो T2x 5G**
3. **कुल 2100 रुपये नगद**

**विवरण-**
**दिनांक 04.07.2026 को वादी श्री फैसल अहमद द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 03.07.2026 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा उनके घर के गेट पर रखे बैग से 03 अदद मोबाइल फोन एवं कुछ नकदी चोरी कर ली गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 124/2026, धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। जबकि पूर्व में दिनांक 15.05.2026 को प्रार्थिनी श्रीमती रीमा अग्रवाल द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके घर में लगा वाटर पंप चोरी हो गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 104/2026, धारा 305(ए) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।**

**विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं पुलिस की प्रभावी कार्यवाही के क्रम में अभियुक्त समीर पुत्र साकिर, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी गुल्लाबीर कॉलोनी, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से मु0अ0सं0 124/2026 से संबंधित 02 अदद चोरी के मोबाइल फोन एवं ₹1,500 नकद बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि मु0अ0सं0 104/2026 में चोरी किए गए वाटर पंप (टुल्लू पंप) को बेचकर उसे ₹600 प्राप्त हुए थे, जिसे बरामद कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उसे पुलिस अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु रवाना किया गया।**

**गिरफ्तारी टीमः-**
1. **उ0नि0 शिवम कुमार कनौजिया**
2. **हे0का0 श्रीनाथ शुक्ला**
3. **हे0का0 संजय गिरि**
4. **आरक्षी अतुल पाण्डेय**

5. आरक्षी अकरम अंसारी
6. रि0 आरक्षी आकाश सिंह
7. का0 सत्यवान यादव
8. का0 संतोष चौधरी

# <u>थाना – हरदी</u>

## अवैध तमंचा .315 बोर मय कारतूस .315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

**दिनांक – 08.07.26**
**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 233/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना हरदी जनपद बहराइच**

**गिरफ्तार अभियुक्त –**
**इन्दल पुत्र सुकई निवासी ग्राम वर्मापुरवा दा0 औराही जागीर थाना हरदी जनपद बहराइच**

**बरामदगी –**
**01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर**

**विवरण-**
**आज दिनांक 08.07.2026 को थाना हरदी पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में भ्रमण व चेकिंग की जा रही थी कि इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि आपके थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी सिसैय्या की तरफ जा रहा है जिसके पास अवैध असलहा मौजूद है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल वर्मापुर दा0 औराही पहुंच कर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ व तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम इन्दल पुत्र सुकई निवासी ग्राम वर्मापुरवा दा0 औराही थाना हदरी जनपद बहराइच बताया जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ, बरामद असलहे के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्त इन्दल उपरोक्त ने बताया कि वह इसे नेपाल से लाया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियुक्त इन्दल उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विधिक प्रक्रिया अनुरूप गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।**

**गिरफ्तारी टीमः-**
**01.उ 0नि0श्री अर्जुन कुमार थाना हरदी जनपद बहराइच।**
**02.का मुकेश मौर्या 0 थाना हरदी जनपद बहराइच।**
**03.का राकेश कुमार थाना हरदी जनपद बहराइच 0**

## थाना – मोतीपुर

**थाना मोतीपुर पुलिस व SSB के संयुक्त आपरेशन में**
**13 ग्राम स्मैक के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

**दिनांक – 05.07.26**
**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 284/26 धारा 8/21 NDPS ACT थाना मोतीपुर जनपद बहराइच**

गिरफ्तार अभियुक्त –
रोशन थारू पुत्र रामबुधन थारु निवासी वार्ड नं0 03 नगर पालिका बांसगढी थाना बांसगढी जिला वर्दिया राष्ट्र नेपाल उम्र 19 वर्ष

बरामदगी –
13 ग्राम स्मैक

विवरण-
अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम एवं मादक पदार्थो की तस्करी व तस्करी करने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में हेतु थानाध्यक्ष आनन्द कुमार चौरसिया के नेतृत्व में दिनांक 05.07.2026 को भारत नेपाल बार्डर पर थाना मोतीपुर पुलिस व SSB की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना मोतीपुर क्षेत्रान्तर्गत भारत नेपाल बार्डर स्थित फुट्टा चौक बहद ग्राम बलईगांव के पास 13 ग्राम स्मैक के साथ अभियुक्त रोशन थारू पुत्र रामबुधन थारु निवासी वार्ड नं0 03 नगर पालिका बांसगढी थाना बांसगढी जिला वर्दिया राष्ट्र नेपाल उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार कर थाना मोतीपुर पर मु0अ0सं0 284/2026 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-
थाना मोतीपुर पुलिस टीम
1.थानाध्यक्ष आनन्द कुमार चौरसिया
2.उ0नि0 अनिल यादव
3.उ0नि0 बृजानन्द
4.रि0का0 राज अग्रहरी
59 वी BN SSB बलईगांव
1.ASI/GD जगदम्बा प्रसाद ,
2. HC/GD प्रशान्त डी मकदूम ,
3.CT/GD मुकेश ठोलिया ,
4. CT/GD हेमेश कुमार ,
5.CT/GD श्रवण कुमार गुर्जर (डाग हैण्डलर )

# <u>थाना – मोतीपुर</u>

**थाना मोतीपुर पुलिस व SSB के संयुक्त आपरेशन में**
**15 ग्राम स्मैक के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

**दिनांक – 10.07.26**
**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 289/26 धारा 8/21 NDPS ACT थाना मोतीपुर जनपद बहराइच**

गिरफ्तार अभियुक्त –
सुशील कुमार पुत्र रतन सिंह सुनार माता का नाम नन्हेकली सुनार निवासी- वार्ड नं- 04 गाँव पालिका बढैय्याताल थाना मैनापोखर जिला बर्दिया राष्ट्र नेपाल उम्र 26 वर्ष

बरामदगी –
15 ग्राम स्मैक

विवरण-
अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम एवं मादक पदार्थो की तस्करी व तस्करी करने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में हेतु थानाध्यक्ष श्री आनन्द कुमार चौरसिया के नेतृत्व में दिनांक 09.07.2026 को भारत नेपाल बार्डर पर थाना मोतीपुर पुलिस व SSB की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना मोतीपुर क्षेत्रान्तर्गत भारत नेपाल बार्डर स्थित पिलर सं0. 667 ग्राम लौकाही के पास 15 ग्राम स्मैक के साथ अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र रतन सिंह सुनार माता का नाम नन्हेकली सुनार निवासी- वार्ड नं- 04 गाँव पालिका बढैय्याताल थाना मैनापोखर जिला बर्दिया राष्ट्र नेपाल उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार कर थाना मोतीपुर पर मु0अ0सं0 289/2026 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-
थाना मोतीपुर पुलिस टीम
1. थानाध्यक्ष आनन्द कुमार चौरसिया
2. उ0नि0 अनिल यादव
3. उ0नि0 बृजानन्द
4. रि0का0 राज अग्रहरी

59 वी BN SSB बलईगांव
1. ASI/ GD परवित्र दत्ता,
2. HC/ GD मौसम भट्टाचार्या,
3. CT/GD जीवन सिंह,
4. CT/GD अमर कुमार गुप्ता,
5. CT/GD भानु प्रताप सिंह
6. CT/GD राजकुमार (डॉग हैंडलर)

## थाना – पयागपुर

अंतर्रजनपदीय चोरी करने वाले गिरोह के 04 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार,
चोरी के आभूषण व नकदी बरामद

दिनांक – 10.07.26
मु0अ0सं0 व धारा –
1. मु0अ0सं0 115/2026 धारा 331(4), 305(a), 317(2), 317(4) BNS,
2. मु0अ0सं0 116/2026 धारा 331(4), 305ए, 317(2), 317(4) BNS,
3. मु0अ0सं0 158/2026 धारा 305(a), 331(4), 317(2), 317(4) BNS,

गिरफ्तार अभियुक्त –
1. कमलेश चौहान पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम बबया दा0 रुकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच
2. श्याम सुन्दर चौहान पुत्र गोमती चौहान निवासी ग्राम बबया दा0 रुकनापुर थाना पयागुर जनपद बहराइच
3. पप्पू पुत्र गोमती चौहान निवासी ग्राम बबया दा0 रुकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच
4. अजीज पुत्र सद्दीक उर्फ सब्बीर निवासी मंगल भट्टा थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती

बरामदगी –
(i)चार अदद अंगूठी पीली धातु
(ii) सात अदद पायल सफेद धातु
(iii) दो अदद मंगलसूत्र पीली धातु
(iv) एक अदद नत्थी पीली धातु
(v) नकद कुल 4035 रुपये

विवरण-
थाना पयागपुर पुलिस थाना क्षेन्तार्गत विभिन्न चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना पयागपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी, विवेचना के क्रम में प्राप्त तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 10.07.2026 को 04 वांछित अभियुक्तगण 1. कमलेश चौहान पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम बबया दा0 रुकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच, 2. श्याम सुन्दर चौहान पुत्र गोमती चौहान निवासी ग्राम बबया दा0 रुकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच, 3. पप्पू पुत्र गोमती चौहान निवासी बबया दा0 रुकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच, 4. अजीज पुत्र सद्दीक उर्फ सब्बीर निवासी मंगल भट्टा थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती को थाना क्षेत्र पयागपुर के शिवदहा रोड़ टेड़िया पुल के पास से चोरी के चार अदद अंगूठी पीली धातु, सात अदद पायल सफेद धातु, दो अदद मंगलसूत्र पीली धातु, एक अदद नत्थी पीली धातु व नकद कुल 4035 रुपये के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर पुलिस अभिरक्षा में माननीय न्यायालय बहराइच के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-
1. उ0नि0 अमित प्रकाश
2. उ0नि0 रमेश चन्द्र
3. हे0का0 निर्भयनाथ पाण्डेय
4. हे0का0 आफताब अहदम

5. हे0का0 मनीष कुमार
6. का0 आशीष चौहान
7. का0 मनोज कुमार

थाना पयागपुर, जनपद बहराइच

## थाना – साइबर सेल/ को0नगर/ को0देहात

**साइबर अपराधियों के खिलाफ श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन "साइबर-वज्र" के अन्तर्गत जनपद बहराइच में कुल 02 अभियोग पंजीकृत, 05 शातिर साइबर अभियुक्त गिरफ्तार**

**दिनांक – 11.07.26**

**मु0अ0सं0 व धारा –**

- थाना कोतवाली देहात पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-271/2026, धारा 308(2)/351(3) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट

- थाना कोतवाली नगर पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-126/2026, धारा 308(2)/351(3) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

- थाना कोतवाली देहात द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. आशीष कश्यप पुत्र विजय कश्यप निवासी नौव्वागढ़ी, थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच।
2. निहाल शर्मा पुत्र राकेश शर्मा निवासी नौव्वागढ़ी, थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच।
3. अर्जुन सिंह पुत्र सुरेश कुमार निवासी अगनूपुरवा, थाना नानपारा, जनपद बहराइच।

- थाना कोतवाली नगर द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. रवि कुमार पुत्र रामनरायन निवासी नौव्वागढी घसियारीपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच
2. शम्भू सोनी पुत्र बजरंगी सोनी निवासी नौव्वागढ़ी, थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच।

**बरामदगी –**

**विवरण-**

दिनांकित 09.07.2026 को वादी शिवराम शुक्ला निवासी घसियारीपुरा थाना कोतवाली देहात,जनपद बहराइच द्वारा थाना कोतवाली देहात पर, जबकि दिनांक 10.07.2026 को वादी अनुपम पाण्डेय निवासी घसियारीपुरा, थाना कोतवाली देहात,जनपद बहराइच द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी गई कि कुछ व्यक्तियों ने स्वयं को लोन उपलब्ध कराने वाला बताकर उन्हें विश्वास में लिया तथा उनके बैंक खातों से संबंधित एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, चेकबुक एवं अन्य बैंकिंग अभिलेख प्राप्त कर लिए। तत्पश्चात अभियुक्तों द्वारा उक्त बैंकिंग संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए साइबर माध्यम से संदिग्ध वित्तीय लेन-देन किए गए। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0-271/2026, धारा 308(2), 351(3) बीएनएस एवं धारा 66D IT ACT में जबकि थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 126/2026 धारा 308(2), 351(3) बीएनएस एवं धारा 66D IT ACT पंजीकृत किया गया।

जनपद में साइबर अपराध एवं अपराधियों की प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे, विवेचना के दौरान संकलित तकनीकी साक्ष्यों, बैंक अभिलेखों तथा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात द्वारा साइबर सेल की मदद से त्वरित एवं सुनियोजित कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली देहात द्वारा दिनांक 10.07.2026 को मु0अ0सं0-271/2026 में वांछित 03 अभियुक्त 1.आशीष कश्यप, 2.निहाल शर्मा 3.अर्जुन सिंह को घेराबंदी कर गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया जबकि दिनांक 11.07.2026 को थाना कोतवाली नगर द्वारा मु0अ0सं0-126/2026 से सम्बन्धित 02 अभियुक्त 1. रवि कुमार पुत्र रामनरायन, 2. शम्भू सोनी पुत्र बजरंगी सोनी को गिरफ्तार

किया गया पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए थाना कोतवाली देहात द्वारा गिरफ्तार शुदा 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जबकि थाना कोतवाली नगर द्वारा गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तारी टीमः-

थाना कोतवाली देहात गिरफ्तारी टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ददन सिंह
2. उ0नि0 श्री मुकेश पाण्डेय
3. का0 श्रीप्रकाश मिश्रा
4. रि0का0 ज्ञानदीप यादव
5. रि0का0 प्रिंस

थाना कोतवाली नगर गिरफ्तारी टीम-

1. अ0नि0 श्री संजीव कुमार पाल
2. व0उ0नि0 अरविन्द वर्मा
3. उ0नि0 रवि शंकर
4. हे0का0 विजय प्रताप वर्मा
5. का0 अजीत वर्मा
6. रि0का0 विकास
7. रि0का0 रोहित यादव

## थाना – दरगाह शरीफ/ कोतवाली मुर्तिहा

- साइबर अपराधियों के खिलाफ श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन "साइबर-वज्र" के अन्तर्गत 02 अन्य अभियोग से संबंधित 08 शातिर साइबर अभियुक्त गिरफ्तार
- अबतक जनपद बहराइच में पंजीकृत 04 अभियोगों में कुल 13 शातिर साइबर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 12.07.26

मु0अ0सं0 व धारा –

1. थाना दरगाह शरीफ - मु0अ0सं0 324/2026 धारा61(2), 318(4), 308(5), 351(3), 191(2) बीएनएस व 66D IT Act
2. थाना मोतीपुर - मु0अ0सं0 295/26 धारा 308(5), 318(4) बीएनएस व 66C आईटी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त –

थाना दरगाह शरीफ-

1. मोनू मोर्या उर्फ सतेन्द्र मोर्या पुत्र चन्द्र शेखर मौर्या निवासी ग्राम आडीपुर दशरथपुर थाना रामगाँव जिला बहराइच उम्र करीब 24 वर्ष
2. नूर अहमद पुत्र मकसूद अहमद निवासी डफालीपुरवा थाना कोतवाली दरगाह जिला बहराइच उम्र करीब 27 वर्ष
3. मो0 आमिर पुत्र महफूज बेग निवासी गुलाम अलीपुरा छावनी दरगाह शरीफ थाना दरगाह शरीफ जिला बहराइच उम्र करीब 26 वर्ष
4. साहिल बेग पुत्र वकील बेग निवासी ग्राम परशुराम पुर थाना फकरपुर जिला बहराइच उम्र करीब 23 वर्ष
5. शकील अहमद पुत्र मो0 समीम निवासी गुलाम अलीपुरा थाना दरगाह शरीफ जिला बहराइच उम्र करीब 27 वर्ष
6. फहीम पुत्र साकिर अली निवासी मो0 नई बस्ती नाजीरपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच उम्र करीब 28 वर्ष
7. संतोष सिंह पुत्र रानावीर सिंह निवासी ग्राम टेडवा बसन्तपुर थाना कोतवाली देहात जिला बहराइच उम्र करीब 22 वर्ष

थाना मोतीपुर-

1. सौरभ मिश्रा पुत्र आनन्द मिश्रा निवासी कानूनगोपुरा उत्तरी थाना कोतवाली नगर बहराइच

बरामदगी –

09 अदद मोबाइल व 01 अदद वीजा बैंक कार्ड बरामद

विवरण-

आज दिनांक 12.07.2026 को थाना दरगाह शरीफ पुलिस को वादी श्री उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री सन्तोष सिंह निवासी काजी कटरा थाना दरगाह शरीफ से तथा थाना मोतीपुर पुलिस को वादी सहाबुद्दीन पुत्र सद्दीक निवासी मटेही कला थाना मोतीपुर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपना पैसा मंगाने के बहाने वादी के बैंक के एटीएम व सिम कार्ड ले लिए गये, तत्पश्चात् अभियुक्तों द्वारा उक्त बैंकिंग संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए साइबर माध्यम से संदिग्ध वित्तीय लेन-देन किए गए तथा वादी को केस में फंसाने व जान से मारने की धमकी दी गयी । जिसके संबंध में थाना दरगाह शरीफ में मु0अ0सं0 324/ 26 धारा 61(2), 318(4), 308(5), 351(3), 191(2) बीएनएस व 66D IT Act तथा

थाना मोतीपुर में मु0अ0सं0 295/26 धारा 308(5), 318(4) बीएनएस व 66C आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। जनपद में साइबर अपराध एवं अपराधियों की प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। विवेचना के दौरान संकलित तकनीकी साक्ष्यों, बैंक अभिलेखों तथा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना दरगाह शरीफ व थाना मूर्तिहा पुलिस द्वारा साइबर सेल की मदद से त्वरित एवं सुनियोजित कार्रवाई करते हुए थाना दरगाह शरीफ पुलिस द्वारा संबंधित 07 अभियुक्तगण 1.मोनू मोर्या उर्फ सतेन्द्र, 2.नूर अहमद, 3.मो0 आमिर, 4.साहिल बेग, 5-शकील अहमद, 6.फहीम, 7.संतोष सिंह को गिरफ्तार कर 09 अदद मोबाइल व 01 अदद वीजा बैंक कार्ड बरामद किया गया तथा थाना मोतीपुर में पंजीकृत अभियोग में थाना मूर्तिहा पुलिस द्वारा संबंधित 01 अभियुक्त 1.सौरभ मिश्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

उल्लेखनीय है कि जनपद बहराइच के थाना को0देहात व थाना को0नगर पुलिस को साइबर ठगी बैंकिंग संसाधनों के दुरुपयोग के माध्यम से संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की सूचना पर दिनांक 09.07.2026 को थाना को0देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-271/2026 धारा 308(2), 351(3) बीएनएस एवं धारा 66D IT ACT पंजीकृत कर संबंधित 03 अभियुक्तगण 1.आशीष कश्यप, 2.निहाल शर्मा, 3.अर्जुन सिंह तथा दिनांक 10.07.2026 को को0नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 126/2026 धारा 308(2), 351(3) बीएनएस एवं धारा 66D IT ACT पंजीकृत कर संबंधित 02 अभियुक्तगण 1.रवि कुमार, 2.शम्भू सोनी को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया अनुरूप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

प्रारंभिक विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण आमजन को विश्वास में लेकर उनके बैंक खातों से संबंधित एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, चेकबुक एवं अन्य बैंकिंग अभिलेख प्राप्त कर उक्त बैंकिंग संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए साइबर माध्यम से संदिग्ध वित्तीय लेन-देन करते थे तथा इसकी शिकायत न करने हेतु पीड़ित को डराते व धमकाते थे। पुलिस द्वारा मामले का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। साथ ही, प्रकरण से जुड़े अन्य संभावित सहयोगियों, लाभार्थी बैंक खातों, साइबर नेटवर्क एवं संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का भी गहन परीक्षण किया जा रहा है। विवेचना के दौरान प्राप्त होने वाले तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

गिरफ्तारी टीमः-

- थाना दरगाह शरीफ

1. नि0अ0 श्री राजमन यादव
2. हे0का0 राहुल नन्दन
3. का0 भोला यादव
4. का0 शैलेश शर्मा
5. रि0का0 शरद चौधरी

- थाना कोतवाली मूर्तिहा

1. प्र0नि0 श्री राम नरेश
2. व0उ0नि0 गगन दीप
3. हे0का0 सुभाष
4. हे0का0 राज नरायन

**<u>थाना –</u>**

**आयुध अधिनियम से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार,**
**अवैध तमंचा 12 बोर व कारतूस बरामद**

**दिनांक – 13.07.26**
**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 296/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट**

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

1. **विक्रम पुत्र रामकृपाल निवासी बबया दा0 रुकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच**
2.

**बरामदगी –**
**01 अवैध तमंचा व 01 कारतूस 12 बोर**

**विवरण-**
**दिनांक 12.07.2026 को पुलिस टीम उ0नि0 श्री शिवम कुमार त्रिपाठी द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत बिलरवा चौराहा पर वाहन चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना पर रायडीह मोड से अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 296/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को विधिक प्रक्रिया अनुरूप माननीय न्यायालय रवाना किया गया। गिरफ्तारी के समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया।**

**गिरफ्तारी टीमः-**

1. **उ0नि0 श्री शिवम कुमार त्रिपाठी**
2. **हे0का0 धनई प्रसाद**
3. **का0 अरमान अली**
4. **का0 अंकित वर्मा**
5. **रि0का0 आदित्य गुप्ता**

## थाना – पयागपुर, सर्विलांस, स्वॉट

**एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार**
**16 किलो अवैध गांजा बरामद**

**दिनांक – 13.07.26**
**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 297/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट**

**गिरफ्तार अभियुक्त –**
**1.अदनान पुत्र हफीजुल्ला निवासी चिनहट मटियारी थाना चिनहट जनपद लखनऊ पूर्वी उम्र 24 वर्ष**
**2.विपिन मिश्रा उर्फ गौरव मिश्रा पुत्र शोभाराम मिश्रा निवासी इन्द्रापुर दा0 सोहरियावाँ थाना पयागपुर जनपद बहराइच उम्र 21 वर्ष**
**3.प्रवेश मिश्रा पुत्र राधेश्याम मिश्रा निवासी सोहरियावां थाना पयागपुर जनपद बहराइच उम्र 33 वर्ष**
**4.शुभ गुप्ता पुत्र कृष्ण कुमार गुप्ता निवासी चिनहट सतरीवा रोड थाना चिनहट जनपद लखनऊ पूर्वी उम्र 20 वर्ष**

**बरामदगी –**
**16 किलो नाजायज गांजा बरामद**

**विवरण-**
**दिनांक 13.07.2026 को थानाध्यक्ष दीपक सिंह मय फोर्स द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत पयागपुर चौराहा पर संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना पर गंगवल रोड निबिया मनिकापुर नहर पुलिया से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के कब्जे से 16 किलो नाजायज गांजा बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 297/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण को विधिक प्रक्रिया अनुरूप माननीय न्यायालय रवाना किया गया। गिरफ्तारी के समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया।**

**गिरफ्तारी टीमः-**
**1.SO श्री दीपक सिंह**
**2.उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र**
**3.हे0का0 आलोक यादव**
**4.हे0का0 रामनाथ यादव**
**5.हे0का0 अंगद कुमार**
**6.का0 प्रभाकर गुप्ता**
**7.का0 मनोज कुमार**
**स्वाट टीम**
**1.निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह**
**2.उ0नि0 श्री पूर्णेश नरायण पाण्डेय**
**3.हे0का0 सुधीर यादव**
**4.हे0का0 अख्तर खान**
**5.हे0का0 राजेन्द्र यादव**
**6.का0 नरोत्तम पुरी**

**7.का0 धर्मेन्द्र वर्मा**

<u>सर्विलांस टीम</u>

**1.हे0का0 अजीत सिंह**

**2.का0 नितिन अवस्थी**

# <u>थाना – मोतीपुर</u>

**थाना मोतीपुर पुलिस व SSB के संयुक्त आपरेशन में**
**237 ग्राम स्मैक तथा 01 मोटर साईकिल, 01 मोबाइल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

**दिनांक – 15.07.26**
**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 297/26 धारा 8/21 NDPS ACT थाना मोतीपुर जनपद बहराइच**

**गिरफ्तार अभियुक्त –**
**इसरार पुत्र करामत अली निवासी ग्राम मेढकिया पौण्डा थाना मोतीपुर जनपद बहराइच उम्र 36 वर्ष**

**बरामदगी –**
**237 ग्राम स्मैक, 01 अदद मोटर साईकिल, 01 अदद ओप्पो रिनो मोबाइल**

**विवरण-**
**अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम एवं मादक पदार्थो की तस्करी व तस्करी करने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में हेतु प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रह्मा गोंड के नेतृत्व में दिनांक 15.07.2026 को भारत नेपाल बार्डर पर थाना मोतीपुर पुलिस व SSB की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना मोतीपुर क्षेत्रान्तर्गत पड़रिया चौराहा के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ व तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 237 ग्राम स्मैक, 01 अदद मोटर साईकिल, 01 अदद ओप्पो रिनो मोबाइल बरामद हुआ। अभियुक्त ने पूछताछ में अपना नाम इसरार पुत्र करामत अली निवासी ग्राम मेढकिया पौण्डा थाना मोतीपुर जनपद बहराइच उम्र 36 वर्ष बताया। बरामदगी के आधार पर आधार पर थाना मोतीपुर पर मु0अ0सं0 297/2026 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया।**

**गिरफ्तारी टीमः-**
**थाना मोतीपुर पुलिस टीम**
**1.प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रह्मा गोंड**
**2.उ0नि0 श्री अनिल यादव**
**3.उ0नि0 श्री बृजानन्द**
**4.हे0का0 विक्रान्त बालियान**
**59 वी BN SSB बलईगांव**
**1 INS/GD श्री राजू यादव**
**2 HC/GD प्रशान्त डी0 मकदूम ,**
**3 HC/GD अजय कुमार ,**
**4 CT/GD महेश बाबारिया ,**
**5 CT/GD कृष्णपाल ,**
**6 CT/GD विनोद कुमार ,**
**7 CT/DVR सुरजीत सिंह ,**
**8 CT/GD अनिल कुमार यादव**

## थाना – रुपईडीहा

**1.586 कि0ग्राम अवैध चरस (अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़) के साथ नेपाली तस्कर गिरफ्तार**

**दिनांक – 15.07.26**

**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 176/2026 धारा 8/20 NDPS ACT थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच**

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

**विरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र कुश बहादुर सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी बारेकोट ग्राम पालिका वार्ड न0 04 जाजरकोट राष्ट्र नेपाल**

**बरामदगी –**

**1.586 कि0ग्राम अवैध चरस (अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ रुपये)**

**विवरण-**

**दिनांक 14.07.2026 को कस्बा रुपईडीहा में एसएसबी चेक पोस्ट पर थाना रुपईडीहा पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ एवं तलाशी ली गई। इस दौरान उक्त नेपाली नागरिक की पहचान विरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र कुश बहादुर सिंह, निवासी बारेकोट ग्राम पालिका, वार्ड संख्या-04, जनपद जाजरकोट, नेपाल के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1.586 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वह उक्त अवैध चरस को नेपाल से लेकर रुपईडीहा चेक पोस्ट के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहा था। बरामदगी के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मु0अ0सं0 176/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।**

**गिरफ्तारी टीमः-**

**पुलिस टीम रुपईडीहा**

1. प्र0नि0 श्री रमेश सिंह रावत
2. उ0नि0 श्री जितेश सिंह
3. उ0नि0 श्री अजय कुमार
4. मु0आ0 अयोध्या प्रजापति
5. आ0 रविन्द्र यादव

**ANTF टीम लखनऊ**

6. उ0नि0/स0 देवेन्द्र सिह
7. हे0का0/GD जसवीर सिह
8. का0/GD नाजिम सिह
9. म0का0/GD काजल पाण्डेय
10. CT/GD गुरूदेव यादव डाग हैण्डलर मय डाग axel

**F.COY 42 BN SSB नानपारा**

## थाना – रुपईडीहा

**53 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार**

**दिनांक – 19.07.26**
**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 182/2026 धारा 8/21 NDPS ACT**

गिरफ्तार अभियुक्त –
**शमीम अहमद पुत्र लल्लन रायनी उम्र करीब 38 वर्ष निवासी चिकवन मोहल्ला मुनीरगंज थाना रूपइडीहा जनपद बहराइच**

**बरामदगी – 53 ग्राम नाजायज स्मैक व 200 रू0 भारतीय और 100 रू0 नेपाली मुद्रा**

विवरण-
**दिनांक 18.07.2026 को थाना रुपईडीहा पुलिस व SSB टीम द्वारा सीमा क्षेत्र में गस्त की जा रही थी कि पिलर सं0 651/2 से नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते पर भारतीय सीमा से नेपाल की तरफ जाते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे रोककर पूछताछ व तलाशी ली गयी तो कब्जे से 53 ग्राम नाजायज स्मैक व 200 रू0 भारतीय और 100 रू0 नेपाली मुद्रा बरामद हुआ । पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम शमीम अहमद पुत्र लल्लन रायनी उम्र करीब 38 वर्ष निवासी चिकवन मोहल्ला मुनीरगंज थाना रूपइडीहा जनपद बहराइच बताया । अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत में लेकर बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 182/2026 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध विधिक प्रक्रिया अनुरूप आवश्यक कार्यवाही की गयी।**

गिरफ्तारी टीमः-

1. उ0नि0 अजय कुमार
2. का0 सोविन्द्र यादव ,
3. का0 मनोज वर्मा ,
4. का0 अभिषेक सिंह ,
5. का0 अभिषेक राय
6. का0 रविन्द्र यादव

थाना रूपइडीहा जनपद बहराइच

7. INSP/GD अभिषेक त्रिपाठी
8. CT/GDबलराम सिंह भदौरिया
9. CT/GD सोहन राय ,
10. CT/GD राहुल कटारिया
11. डाग हैंडलर CT/GD गुरूदेव यादव

मय डाग AXEL NO-B876 GSD मेल , F- कम्पनी 42 BN नानपारा बहराइच

# <u>थाना – विशेश्वरगंज</u>

## हत्या के मुकदमे का अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद

**दिनांक – 24.07.26**
**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 225/26 धारा 103(1) BNS**

**गिरफ्तार अभियुक्त – 1. छैलू पुत्र भगवानदीन उम्र करीब 28 वर्ष निवासी पुरैना थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच**

**बरामदगी –**
**आलाकत्ल कुल्हाड़ी**

**विवरण-**
**दिनांक 23.07.2026 को थाना विशेश्वरगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम फुलेरा में एक महिला, नाम कन्या देवी पत्नी भगवानदीन वर्मा उम्र करीब 55 वर्ष की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गयी, सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष विशेश्वरगंज मय टीम, एफएसएल टीम व उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर परिवारीजन व आसपड़ोस के लोगों से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि छैलू वर्मा ने अपनी माँ की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। जिसके संबंध में मृतका के पति भगवानदीन पुत्र कन्धईलाल नि0 ग्राम पुरैना थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच द्वारा प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 225/26 धारा 103(1) BNS पंजीकृत किया गया । तत्पश्चात् विवेचना के क्रम में पुलिस टीम थानाध्यक्ष श्री संदीप कुमार द्विवेदी मय हमराह व0उ0नि0 नरसिंह, हे0का0 सत्यप्रकाश यादव, का0 महेन्द्र कुमार व का0 योगेन्द्र पाल द्वारा मुकदमा उपरोक्त के नामजद अभियुक्त छैलू पुत्र भगवानदीन उपरोक्त को हिरासत पुलिस मे लिया गया जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल कुल्हाड़ी को बरामद किया गया । गिरफ्तारी के समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।**

**गिरफ्तारी टीमः-**

1. **थानाध्यक्ष श्री संदीप कुमार द्विवेदी**
2. **व0उ0नि श्री नरसिंह**
3. **हे0का0 सत्यप्रकाश यादव**
4. **का0 महेन्द्र कुमार**
5. **का0 योगेन्द्र पाल**

## थाना – नानपारा

- बहराइच पुलिस की बड़ी कार्यवाही
- हत्या के मुकदमें के वांछित 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार
- आलाकत्ल बांका बरामद

**दिनांक – 24.07.26**
**मु0अ0सं0 व धारा – मु०अ०सं० 0234/2026 धारा 103(1), 61(2) बीएनएस**

**गिरफ्तार अभियुक्त –**
**1. पप्पू उर्फ समीर खान पुत्र इद्रीश उम्र करीब 44 वर्ष निवासी ग्राम बेगमपुर रानीसिर थाना हरदत्तनगर गिरण्ट जनपद श्रावस्ती**
**2. जय सिंह पुत्र अशर्फी लाल उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम बेगमपुर रानीसिर थाना हरदत्तनगर गिरण्ट जनपदश्रावस्ती**
**3. सकलेन रजा पुत्र स्व0 सैयद अली उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम बहोरवा शिकारीपुरवा थाना हरदत्तनगर गिरण्ट जनपद श्रावस्ती**

**बरामदगी –**
- आला कत्ल बांका

**विवरण-**
**दिनांक 30.06.2026 को वादी मुकदमा श्री मनीष कुमार द्विवेदी पुत्र अजय कुमार द्विवेदी निवासी बेलदारन टोला थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच द्वारा थाना नानपारा पुलिस को सूचना दी गयी कि वादी के पिता अजय कुमार द्विवेदी की दिनांक 29.06.2026 को सरयू नहर रोड ग्राम सिसवारी के पास जय सिंह आदि कुल 07 व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गयी । सूचना पर उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किये गये। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 0234/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता को देखते हुए उच्चाधिकारीगण द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये जिसके क्रम में थाना नानपारा पुलिस टीम द्वारा गहन पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए 03 नामजद अभियुक्तो 1.अरशद उर्फ रोजन अली पुत्र जब्बार निवासी ग्राम हकीमगांव थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच 2.अज्जु उर्फ अजीम निजामी पुत्र अलीम निजामी निवासी मोहल्ला शेख सराय थाना बिसवां जनपद सीतापुर 3.अकील अहमद पुत्र अब्दुल बशीर निवासी मोहल्ला छावनी थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच को गिरफ्तार कर दिनांक 05.07.2026 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था तथा शेष अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी अधिपत्र व धारा 84 बीएनएसएस की आदेशिका प्राप्त कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सतत प्रयास किये जा रहे थे जिन्हें आज दिनांक 24.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर हाडा बसेहरी नहर पुल के पास से हत्या के मुख्य आरोपी 1.पप्पू उर्फ समीर खान पुत्र इद्रीश उम्र करीब 44 वर्ष निवासी ग्राम बेगमपुर रानीसिर थाना हरदत्तनगर गिरण्ट जनपद श्रावस्ती को अपने अन्य साथी 2.जय सिंह पुत्र अशर्फी लाल उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम बेगमपुर रानीसिर थाना हरदत्तनगर गिरण्ट जनपद श्रावस्ती, 3.सकलेन रजा पुत्र स्व0 सैयद अली उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम बहोरवा शिकारीपुरवा थाना**

हरदत्तनगर गिरण्ट जनपद श्रावस्ती के साथ गिरफ्तार कर आलाकत्ल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को विधिक प्रक्रिया अनुरूप माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

हत्या का मुख्य आरोपी पप्पू उर्फ समीर उपरोक्त अपने साथियों के साथ मिलकर मृतक अजय कुमार द्विवेदी को सोशल मीडिया पर धन वर्षा के नाम पर तंत्र मंत्र सम्बन्धी वीडियो दिखाकर यह अंधविश्वास पैदा किया गया कि यदि ऐसा पुरुष जिसका कद ढाई फीट से अधिक न हो, उसके द्वारा तांत्रिक क्रिया के दौरान तेजी से दोनों हाथ हिलाये जायें तो पैसों की बारिश होगी। इस प्रकार लालच देकर धन वर्षा कराने हेतु धीरे-धीरे करीब 15 लाख रुपये ले चुका था। लेकिन धन वर्षा न होने के कारण मृतक द्वारा अपने पैसे वापस पाने के लिये पप्पू उपरोक्त पर दबाव बनाया जा रहा था। अभियुक्त पप्पू उर्फ समीर को पैसा वापस न करना पड़े इस कारण सहयोगियों के साथ मिलकर साज़िश करके मृतक अजय उपरोक्त को घर से सरयू नहर सड़क के पास बुलाकर हत्या कर दी गयी थी तथा हत्या की घटना को छुपाने के लिये घटना को एक्सीडेन्ट का रूप देने का प्रयास किया गया था।

गिरफ्तारी टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह थाना कोत0 नानपारा जनपद बहराइच
2. निरीक्षक अपराध अवधेश यादव
3. वरिष्ठ उ0नि0 मदनलाल गौतम
4. उ0नि0 श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह
5. उ0नि0 श्री सुरेश यादव
6. उ0नि0 श्री सौरभ पाण्डेय
7. हे0कां0 रितेश रावत
8. हे0का0 राम प्रताप सिंह
9. कां0 अमित सिंह
10. कां0 आलोक विक्रम सिंह
11. हे0कां0 सुरेश सिंह
12. कां0 संदीप कुमार
13. कां0 अनुराग सिंह
14. कां0 संजीव यादव

**थाना – रुपईडीहा**

**भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध घुसपैठ करते हुए वारिसे पंजाब नामक संस्था के 02 संक्रिय सदस्य, अपने 03 सहयोगी साथियो के साथ गिरफ्तार**

दिनांक – 24.07.26
मु0अ0सं0 व धारा-
03. मु०अ0सं0 188/26 धारा 319 (2), 318(4), 338, 336, 340(2), 61 BNS व 21 आप्रवास व विदेशी विषयक नियम 2025 थाना रूपइडीहा जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –
1. मनबीर सिंह ढिल्लों पुत्र कमलजीत सिंह ढिल्लों, अमेरिकी नागरिक, उम्र लगभग 32 वर्ष, लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया (USA) भारतीय पता - चक्की वाली गली, बाबा ईश्वर सिंह नगर, मोगा, थाना सिटी 1 मोगा, पंजाब ।
2. विक्रमजीत सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी उम्र 33 वर्ष वार्ड न0 2 रोली कालोनी बालचौर शहीद भगतसिंह नगर पंजाब
3. राहुल कुमार पुत्र अनिल कुमार उम्र 28 वर्ष निवासी गाव केवलपुर थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच
4. सुरेश कुमार पाठक पुत्र कालिका प्रसाद पाठक, उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी गाँव- महानंदपुरवा, थाना-रूपईडीहा, बहराइच
5. दिलीप पाठक उर्फ राहुल पाठक पुत्र ओम प्रकाश, उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी गांव महानंदपुरवा थाना रूपईडीहा, बहराइच

बरामदगी –
मनवीर सिंह
iPhone 17 promax
पासपोर्ट नंबर - A 08504105
Bank of America Debit card, Citi
ड्राइविंग लाइसेन्स
Tabbing क्रेडिट कार्ड (गोल्ड क्रेडिट वीजा कार्ड)
Valley strong क्रेडिट (viii) US डॉलर 900 और नेपाली मुद्रा 100 रुपये

सुखराज सिंह
1. फर्जी आईडी (आधार कार्ड सुखराज सिंह पुत्र गुरमेल सिंह, DOB 21/05/2001, पता - ग्राम नया गाँव मोहमदी खीरी उत्तर प्रदेश, आधार कार्ड नंबर
2. PAN कार्ड
3. ड्राइविंग लाइसेन्स नंबर

सुरेश पाठक
मोटर साइकिल होंडा शाइन

राहुल कुमार
इनोवा गाड़ी (**UP 34 AB 3030**

विवरण-
दिनांक **22/07/26** को समय लगभग **19.50** बजे **special Int team** की आसूचना पर **BIT** चेक पोस्ट पर **SSB** व रूपइडीहा पुलिस की संयुक्त चेकिंग के दौरान एक इनोवा गाड़ी वाहन संख्या **UP 34 AB 3030** द्वारा संदिग्ध भारतीय नागरिक बिक्रमजीत सिंह पुत्र संतोख को **BIT** चेक पोस्ट के रास्ते **BP** संख्या **651/7** से लगभग **40** मीटर भारतीय क्षेत्र में नेपाल से भारत में प्रवेश करने का प्रयास वाहन चालक राहुल कुमार पुत्र अनिल कुमार की मदद से कर रहा था। जो इन लोगों को रांझा एयरपोर्ट नेपालगंज से पूरनपुर पीलीभीत तक ले जा रहा था। **BIT** टीम द्वारा जाँच के दौरान पकड़े जाने पर इसकी सूचना उच्चाधिकारी गण को दी गयी। जिनसे विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा पूछताछ और उनके सामान की सघन जांच करने पर यह संज्ञान में आया कि इनके साथ एक अमेरिकी नागरिक भी है। उस व्यक्ति के बारे में गहन छानबीन की गयी तो प्राप्त सूचना के आधार पर मनबीर सिंह ढिल्लों, कैलिफोर्निया (**USA**) को **BP** संख्या **651/5** से लगभग **40** मीटर भारतीय क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करते समय नाका ड्यूटी द्वारा दिनांक **22/07/26** को समय लगभग **21.45** बजे पकड़ा गया, इसके साथ एक भारतीय नागरिक सुरेश कुमार पाठक पुत्र कालिका पाठक को भी पकड़ा गया जो उक्त अमेरिकी नागरिक को अपनी मोटरसाइकिल **Honda shine (UP 40P 7087)** पर बैठाकर अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कराया था। उक्त व्यक्तियों द्वारा फर्जी व कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर सुनियोजित तरीके से भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध घुसपैठ कराये जाने तथा गहन पूछताछ के दौरान पंजाब में पंजाब वारिस द संगठन के सक्रिय सदस्य होने तथा पूर्व में पंजाब के विभिन्न थानों में दर्ज अभियोगों में वांछित होने के कारण अपनी पहचान छुपाकर भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया जाना पाया गया। जिसके आधार पर दिनांक **23.7.26** को समय **17.45** बजे नियमानुसार उपरोक्त सभी **1.** मनबीर सिंह ढिल्लों **2.** विक्रमजीत सिंह **3.** राहुल कुमार **4.** सुरेश कुमार पाठक **5.** दिलीप पाठक उर्फ राहुल पाठक को हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। फर्द बरामदगी व गिरफ़्तारी के आधार पर थाना रूपईडीहा पर मु०अ0सं0 **188/26** धारा **319(2), 318(4), 338, 336, 340(2), 61 BNS** व **21** आप्रवास व विदेशी विषयक नियम **2025** पंजीकृत किया गया । नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण मनबीर सिंह व विक्रमजीत सिंह के अन्य आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में पंजाब पुलिस से सम्पर्क स्थापित कर सूचनाये संकलित की जा रही है।

गिरफ्तारी टीमः-
1. **SHO** हरेन्द्र कुमार मिश्रा
2. का0 अभिषेक कुमार राय
3. का0 आयुष कुमार
4. का0 कन्हैया सिंह
5. सहायक कमान्डेंट श्री अमित कुमार
6. निरी0/**GD** अभिषेक त्रिपाठी
7. **SI/GD** विनोद प्रकाश
8. **HC/GD** नरेश
9. **HC/GD** राजिंदर कुमार
10. **CT/GD** बजरंग लाल नाई
12. **CT/GD** विनोद यादव
13. **CT/GD** पी गंगा दुर्गा लक्ष्मी

**14. CT/GD रेखा बर्खाड़**

**थाना रूपड्डीहा जनपद बहराइच**

**15. CT/GD बिजोयता महालिया**

**16. CT/GD सानिका सुधाकर बागदी**

**17. CT/GDमधु कुमारी**

**18. CT/GD फिरोज अहमद**

**19. CT/GD महावीर गुर्जर**

**SSB, F- कम्पनी रूपइडीहा, 42 वी बटालियन बहराइच**

## थाना –रूपईडीहा

- "वारिस पंजाब दे" संगठन का संक्रिय सदस्य गिरफ्तार
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल व नगदी बरामद

**दिनांक – 24.07.26**
**मु0अ0सं0 व धारा- मु०अ०सं० 188/2026 धारा 319(2)/318(4)/333/336/340(2)/61(2) BNS व धारा 21 आप्रवास एवं विदेशी अधिनियम**

**गिरफ्तार अभियुक्त –**
**जोगा सिंह पुत्र अर्जन सिंह निवासी आयशर एजेंसी, नंदपुर सोनवाल, लुधियाना (पंजाब)**
**हाल पता: ग्राम मोनापर जब्ती हेमेपाशा हरगोविंदराय, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत उम्र: लगभग 66 वर्ष**

**बरामदगी –**
**1. नकद धनराशि: ₹31,000/-**
**2. आधार कार्ड: 05 अदद**
**3. ड्राइविंग लाइसेंस (DL): 03 अदद**
**4. पैन कार्ड: 02 अदद**
**5. मोबाइल फोन: 01 अदद (OPPO)**

**विवरण-**
**दिनांक 23.07.2026 को भारत-नेपाल सीमा चेक पोस्ट पर अवैध रूप से"वारिस पंजाब दे" संगठन के सक्रिय सदस्य विक्रमजीत व अमेरिकी नागरिक मनवीर सिंह ढिल्लों स्थानीय निवासियों की मदद से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे । इस दौरान रूपईडीहा पुलिस एवं एसएसबी (SSB) की संयुक्त टीम द्वारा वारिस पंजाब दे संगठन के सदस्य विक्रमजीत, अमेरिकी नागरिक मनवीर सिंह ढिल्लों तथा सीमा पार कराने में अहम भूमिका निभाने वाले तीन अन्य स्थानीय नागरिकों दिलीप पाठक, राहुल व सुरेश को गिरफ्तार किया गया था । तत्पश्चात् विभिन्न भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई जाँच व पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि "वारिस पंजाब दे" संगठन के सक्रिय सदस्य जोगा सिंह (पुत्र अर्जन सिंह, निवासी- आयशर एजेंसी नंदपुर सोनवाल, लुधियाना; हाल पता- ग्राम मोनापर जब्ती हेमेपाशा हरगोविंदराय, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत) ने संगठन के अन्य सदस्यों तथा सीमावर्ती उक्त स्थानीय लोगों की मदद से अमेरिकी नागरिक मनवीर सिंह को बिना वीजा भारत में प्रवेश करने में सहायता प्रदान की थी । जिसके संबंध में थाना रूपईडीहा पर मु०अ०सं० 188/2026 धारा 319(2)/318(4)/333/336/340(2)/61(2) BNS व धारा 21 आप्रवास एवं विदेशी अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा मौके से गिरफ्तार उक्त 5 अभियुक्तों 1.मनबीर सिंह ढिल्लों (पुत्र कमलजीत सिंह ढिल्लों, अमेरिकी नागरिक, निवासी लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया, USA; भारतीय पता- चक्की वाली गली, बाबा ईश्वर सिंह नगर, थाना- सिटी 1 मोगा, पंजाब) 2.विक्रमजीत सिंह (पुत्र संतोख सिंह, निवासी- वार्ड नं० 2, रोली कॉलोनी, बलाचौर, शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब) 3.राहुल कुमार (पुत्र अनिल कुमार, निवासी- गाँव केवलपुर, थाना रूपईडीहा, बहराइच) 4.सुरेश कुमार पाठक (पुत्र कालिका प्रसाद पाठक, निवासी- गाँव महानंदपुरवा, थाना रूपईडीहा, बहराइच) 5.दिलीप पाठक उर्फ राहुल पाठक (पुत्र ओम प्रकाश, निवासी- गाँव महानंदपुरवा, थाना रूपईडीहा, बहराइच) को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है । जबकि मुकदमें में वांछित अभियुक्त जोगा सिंह**

उपरोक्त की तलाश की जा रही थी जिसे आज दिनांक **25.07.2026** को मुखबिर की सूचना पर सीमांत इंटर कॉलेज रूपईडीहा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में अभियुक्त जोगा सिंह ने बताया कि वह मूलतः नंदपुर सोनवाल, लुधियाना, पंजाब का रहने वाला है तथा वर्तमान में हेमेपाशा हरगोविंदराय थाना पूरनपुर पीलीभीत के एक गुरुद्वारा में रहता है तथा वारिस पंजाब दे संगठन का एक सक्रिय सदस्य है। वर्ष **2023** में वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह व उसके अन्य साथी अजनाला काण्ड घटित कर फरार हो गये थे, जिसमें जोगा सिंह ने अमृतपाल सिंह को फरारी के दौरान पूरनपुर में शरण दी थी जिसके संबंध में जोगा सिंह के विरुद्ध पंजाब में थाना मेहतियाना में मु0अ0सं0 **19/2023** धारा **25(1), 27, 54, 59 Arms Act** व धारा **279, 212, 120B, 201, 109 IPC** पंजीकृत किया गया था, जिसमें पूर्व में जोगा सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इसके अतिरिक्त जोगा सिंह द्वारा **01** वर्ष पूर्व वारिस पंजाब दे संगठन के सदस्य विक्रमजीत को नेपाल राष्ट्र भेजने में सहायता प्रदान की थी तथा दिनांक **23.07.2026** को फर्जी दस्तावेज तैयार कर विक्रमजीत सिंह व अमेरिकी नागरिक मनवीर सिंह को स्थानीय लोगों की मदद से भारतीय सीमा में प्रवेश कराने का प्रयास किया गया था। अभियुक्त जोगा सिंह से पूछताछ में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक प्रक्रिया अनुरूप माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा।

गिरफ्तारी टीमः-
प्र0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र

2. नि0अ0 श्री गणेश तिवारी
3. उ0नि0 श्री सर्वेश चन्द्र
4. आ0 सोविन्द्र यादव
5. मु0आ0 भीम कुमार

# थाना – स्वाट/ सर्विलांस/ पयागपुर

- बहराइच पुलिस की बड़ी कार्यवाही
- राहगीर से लूट की घटना का मात्र 24 घण्टे में सफल अनावरण
- 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार
- ₹2,10,400 नगद व पीओएस मशीन, 01 तमंचा मय कारतूस .315 बोर, 02 अदद मोटरसाइकिल आदि बरामद

**दिनांक – 30.07.26**
**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 319/2026**

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. मो0 सहबान पुत्र अली आदिल निवासी शिवदहा थाना पयागपुर जनपद बहराइच उम्र 38 करीब वर्ष
2. सूर्यकुमार सिंह पुत्र छेदी सिंह निवासी ग्राम लखाहीपुतलीतारा थाना पयागपुर बहराइच उम्र करीब 33 वर्ष
3. जयसिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम लखाहीपुतलीतारा थाना पयागपुर जनपद उम्र करीब 24 वर्ष
4. वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासीगण लखाहीपुतलीतारा थाना पयागपुर जनपद बहराइच उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी –

1. **2,10,400 रुपये नगद**
2. **01 अदद तमंचा .315 बोर**
3. **01 अदद कारतूस .315 बोर**
4. **01 पीओएस मशीन**
5. **02 अदद मोटर साइकिल**
6. **अन्य प्रपत्र**

विवरण-

दिनांक 28.07.2026 को वादी श्री अयोध्या प्रसाद पुत्र स्व0 श्री हरिशंकर शुक्ल द्वारा थाना पयागपुर पर सूचना दी गई कि दिनांक 28.07.2026 को प्रातः लगभग 10:30 बजे वह इण्डियन बैंक, खजुही शाखा से ₹1,00,200/- की धनराशि निकालकर अपनी वी.सी. (स्थित मसैडी चौराहा) की ओर जा रहे थे। इसी दौरान भिंगुरी पुल से पहले 01 मोटरसाइकिल पर सवार 03 अज्ञात व्यक्तियों ने उनका रास्ता रोककर उनके पास मौजूद ₹1,00,200/- की धनराशि छीनकर उन्हें धक्का देकर मौके से फरार हो गए । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पयागपुर पर सुसंगत धाराओं में अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0 319/2026 पंजीकृत किया गया ।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा स्वॉट/सर्विलांस व थाना पयागपुर पुलिस की संयुक्त टीम का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

उक्त निर्देशों के क्रम में क्राइम ब्रांच की स्वॉट/ सर्विलांस टीम व थाना पयागपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सुरागरसी, पतारसी, तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण तथा मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्तों की

गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे कि आज दिनांक 30.07.2026 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तगण 02 मोटर साइकिल से खजुरी गांव की तरफ से मसडी चौराहा आ रहे है। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँच कर घेराबंदी की गयी जिसपर पुलिस टीम द्वारा 04 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिये गये संदिग्धों ने अपना नाम 1.मो0 सहबान पुत्र अली आदिल निवासी शिवदहा थाना पयागपुर जनपद बहराइच, 2.सूर्यकुमार सिंह पुत्र छेदी सिंह, 3.जयसिंह पुत्र प्रेम सिंह 4.वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासीगण लखाहीपुतलीतारा थाना पयागपुर जनपद बहराइच बताया तथा तलाशी में अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 2,10,400 रुपये नगद, 01 पीओएस मशीन, 02 मोटर साइकिल, 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस .315 बोर व अन्य प्रपत्र बरामद किये गये। बरामद रुपये के बारे पूछताछ करने पर हिरासत में लिये गये अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.07.2026 को एक व्यक्ति इण्डियन बैंक, खजुही शाखा से रुपये लेकर निकला था, रास्ते में हम लोगों नें भिंगुरी नहर पुलिया के पास उसके पैसे छीन लिये थे, जिसको लेकर आज हमलोग आपस में बंटवारा करने के लिए गिलौला जा रहे थे। अभियुक्तों को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी टीमः-
थाना पयागपुर
1.उ0नि0 श्री गोपाल सिंह
2.उ0नि0 श्री राकेश प्रजापति
3.उ0नि0 श्री शिवम कुमार त्रिपाठी
4.का0 पृथ्वीपाल सिंह
5.का0 सन्तोष चौहान
6.का0 कुलदीप कुमार

स्वाट /सर्विलांस टीम
1.निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह
2.उ0नि0 श्री राशिद अली
3.उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय
4.हे0का0 राजेन्द्र यादव
5.हे0का0 अजीत चन्द्र
6.हे0का0 सुधीर यादव
7.हे0का0 मो0 अख्तर
8.का0 नरोत्तमपुरी
9.का0 धर्मेन्द्र धर्मेन्द्र वर्मा
10.का0 नितिन अवस्थी

## <u>थाना – रुपईडीहा</u>

**1 किलो 126 ग्राम नाजायज चरस(अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1.5 करोड़) के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

**दिनांक – 31.07.26**

**मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 200/2026 धारा 8/20 NDPS ACT थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच**

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

**चित्र बहादुर शाही पुत्र लाल बहादुर शाही उम्र करीब 23 वर्ष निवासी जुनीचांदे गांव पालिका वार्ड नं0 06 जाजरकोट राष्ट्र नेपाल**

**बरामदगी –**

1. 1 किला 126 ग्राम चरस
2. एक अदद मोबाइल फोन
3. 1200 रूपये भारतीय

**विवरण-**

दिनांक 30.07.2026 को थाना रुपईडीहा पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि इस दौरान नेपालगंज रेलवे स्टेशन से नेपाल बार्डर की तरफ जाने वाले रास्ते पिलर संख्या 651/2 के पास से एक सदिंग्ध व्यक्ति को रोका गया जिसकी पहचान चित्र बहादुर शाही पुत्र लाल बहादुर शाही उम्र करीब 23 वर्ष निवासी जुनीचांदे गांव पालिका वार्ड नं0 06 जाजरकोट राष्ट्र नेपाल के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 126 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मु0अ0सं0 200/2026 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध विधिक प्रक्रिया अनुरूप आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

**गिरफ्तारी टीमः-**

**थाना रूपईडीहा-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री अजय कुमार
3. हे0का0 उमेश यादव
4. का0 नेत्रपाल यादव
5. का0 रितेश राय

**F-COY 42 BN SSB नानपारा बहराइच-**

1. उ0नि0/स0 भूपेन्द्र सिंह
2. स०उ0नि०/स0 विपिन द्विवेदी
3. स०उ0नि०/स० राकेश उपल
4. हे0का0 पुरुषोत्तम कुमार
5. का०/स० राम वकील
6. का०/स० जय बिन्द
7. का0 सुनिल पटेल